Sem = II
Paper - IV
Unit - I

अध्यापक - शिक्षा का अर्थ बताते हुए उसकी क्या आवश्यकता है? विवेचना कीजिए।

अथवा

अध्यापक - शिक्षा क्या है? या इसकी क्या अवधारणा है? विस्तार से समझाइये।

अथवा

शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक - शिक्षा की आवश्यकता क्यों है?

परिचय :-

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यही कारण है कि अध्यापन को सर्वोत्तम व्यवसाय की संज्ञा दी जाती है, लेकिन विडम्बना यह है कि अध्यापन सबसे अनाकर्षित व्यवसाय के रूप में देखा जाता है तथा समाज में अध्यापक की स्थिति सम्मानजनक नहीं है। अपने देश में अध्यापक शिक्षा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के द्वारा अध्यापन

को फिर वह सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो सकती है। सम्भवतः यही कारण है अध्यापकों की व्यवसायिक शिक्षा के स्वरूप पाठ्यक्रम की प्रस्तुति हेतु संस्तुति की जाती है अध्यापक शिक्षा में लगायी गयी वित्तीय पूंजी अच्छा लाभांश देती है। क्योंकि आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जब हम करोड़ों लोगों की शिक्षा में सुधार की तुलना से नापते हैं, तो ये आवश्यक ~~वित्तीय~~ संसाधन उत्पादन की तुलना में बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। अन्य प्रभावों की अनुपस्थिति में एक अध्यापक उसी परम्परावादी ढंग से अध्यापन करता है और करना चाहता है जिस ढंग से उसके प्रिय अध्यापक द्वारा उसे पढ़ाया जाता है। आज की वर्तमान परिस्थितियों में इसी तरह की परम्परावादी अध्यापक की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है। जबकि आज अनुदेशन के नवीन एवं गत्यात्मक विधियों की आवश्यकता है और इस तरह के ये दृष्टिकोण प्रगति को बाधित करते हैं और इसे प्रभावपूर्ण व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है जो अध्यापक को अध्यापन कार्य के लिए प्रेरित करे और उसके भावी विकास के लिए आधार का कार्य करे।

अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अर्थ :- दोनों प्रत्ययों के अलग अलग अर्थ होते हैं। प्रशिक्षण शब्द का अर्थ संकुचित है जबकि शिक्षा शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक होता है। शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षण अनुदेशन एवं प्रशिक्षण की क्रियायें सम्मिलित होती हैं।

अध्यापक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिये साथ ही साथ उसे अध्यापन की विधियों एवम् प्रविधियों तथा उन घटकों का भी ज्ञान होना चाहिये जो अध्यापन को प्रभावित करती हैं। अध्यापक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। प्रशिक्षण के लिये यह जानना आवश्यक होता है कि कार्य की प्रकृति के अनुसार ज्ञान का कौन सा भाग आवश्यक है।

अभिवृत्ति :- (Attitude)

अपने कार्य के संवेगीकृत मानसिक प्रवृत्ति का नाम ही अभिवृत्ति है। इसमें किसी वस्तु के प्रति भाव निहित होता है और यही भावात्मक पहलू इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक अध्यापक जिसकी अभिवृत्ति अध्यापन पक्ष में है छात्रों को अधिक अधिगम कराने में सहायक होती है।

2. कौशल (Skill) :— कौशल वे विशेष व्यवहार अथवा कार्य है जिनकी आवश्यकता व्यक्ति को किसी कार्य विशेष को सम्पादित करने में सहायता करते है। इसका सम्बन्ध व्यक्ति के क्रियात्मक पहलू से है जिस ढंग से वह कार्य करता है वह कौशल है।

3 व्यवहार का ढंग (Way of Behaviour) :— किसी कार्य के ढंग को व्यवहार के ढंग के नाम से जाना जाता है और कार्य करने का ढंग एक कार्य से दूसरे कार्य के लिए अलग-अलग होता है।

4 शिक्षा (Education) :— वे समस्त क्रियाकलाप जो जीवन कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान, नैतिक मूल्यों और बोध के विकास से सम्बन्धित हो, मिलकर करके शिक्षा का बोध कराते है। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्ति का वैयक्तिक विकास ही नहीं, कुछ सामान्य प्रकृति के गुण जिनकी हर व्यक्ति का उसके व्यवसाय के सम्बन्ध में आवश्यकता होती है और उन्हीं के द्वारा यह समायोजित एवं सामंजस्य युक्त

जीवन जीता है, ये सभी गुण शिक्षक के द्वारा ही विकसित किये जाते हैं।

शिक्षा एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यवसाय विशेष की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यद्यपि यह ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति पर भी बल देती है जो सामान्य प्रकृति से सम्बंधित है तथा जिनका उपयोग एक से अधिक व्यवसाय में किया जा सकता है, तथा यह विस्तृत समुदाय एवम् समाज में दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति का जो अपने वातावरण में रुचि रखता है उसका विकास करती है।

प्रशिक्षण और शिक्षा में अन्तर :-

ग्लेसर ने अपनी पुस्तक 'प्रशिक्षण अनुसंधान एवं शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अनुदेशन तकनीकी' पर शिक्षा एवम् प्रशिक्षण में अन्तर किया है।

1. उद्देश्य की विशिष्टता की मात्रा।
2. व्यक्तिगत भेदों की अल्पता एवं अधिकता।

प्रशिक्षण के उद्देश्य अति विशिष्ट होते हैं तथा व्यक्तिगत भेदों को कम करने का प्रयास करते हैं जबकि शैक्षिक उद्देश्य अति सामान्य होते हैं और व्यक्तिगत विभेदों को बढ़ावा देते हैं।

5

शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अन्तर

शिक्षा Education	प्रशिक्षण Training
1 जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान तथा नैतिक मूल्यों का विकास से सम्बन्धित क्रियाओं पर शिक्षा अधिक बल देती है।	1 किसी कार्य के उचित सम्पादन के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल एवं व्यवहार के विकास पर प्रशिक्षण बल देता है। यह व्यवहार एक कार्य से दूसरे कार्य के लिए अलग-2 होते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में प्रशिक्षित करते हैं तो हम उन कौशलों का विकास करते हैं जो उस व्यक्ति के लिए एक अच्छा अध्यापक होने आवश्यक है।
2. शिक्षा का उद्देश्य बच्चों एवं प्रौढ़ों को आवश्यक परिस्थितियाँ प्रदान करना है जो उन्हें उन सामाजिक परम्पराओं एवं विचारों का बोध कराए, जो उस समाज को प्रभावित	प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी व्यवसाय विशेष में निपुणता प्राप्त करना है जिसके लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है प्रशिक्षण का संबंध जन अधिगम से होता है ताकि

करते हैं साथ-2 दूसरी संस्कृतियों, प्राकृतिक नियमों का ज्ञान कराये तथा उनमे भाषायी ज्ञान एवम् अन्य कौशलों को विकसित कर सके ज्योंकि आधिगम तथा व्यक्तिगत विकास और सृजनात्मकता का आधार है।

कार्य का सम्पादन उचित प्रकार से विशिष्टता के साथ किया जा सके। यद्यपि कुछ अपवाद है, जहाँ पर कार्य बिल्कुल खुले होते हैं जैसा कि प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण में।

शिक्षक - शिक्षा की आवश्यकता :—

किसी कार्य विशेष एवं व्यवसाय में प्रभावी कार्य के लिए प्रशिक्षण आवश्यक होता है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिन के प्रशिक्षण के उपरान्त किसी व्यवसाय मे नियुक्त किया जाता है, तो वह व्यवसाय के लिए योग्य सिद्ध होता है। इसी प्रकार शिक्षण कार्य के लिए अध्यापक प्रशिक्षण या शिक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि अध्यापक राष्ट्र निर्माण के लिए भावी नागरिक तैयार करता है। अध्यापक शिक्षा की आवश्यकताएं :—

कार्य को सफलतापूर्वक प्रभावी ढंग से शिक्षा को सम्पादित करने के लिए। ~~यह आ~~

बाल मनोविज्ञान का ज्ञान:-

अध्यापन कार्य वही कर सकता है जिसे विषय का पूर्ण ज्ञान हो तथा जो विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर, रुचियाँ तथा दृष्टिकोण का बारीकी से ज्ञान रखता है। आधुनिक युग में केवल विषय का ज्ञान किसी अध्यापक के लिए सफलता की सीढ़ी नहीं हो सकता है। अध्यापक के लिए जरूरत होती है कि उसे बालकों की विभिन्न विकास अवस्थाओं की आवश्यकताओं का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। इसलिए अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले निम्न बातों का ज्ञान होना आवश्यक है-

1. बालक के सीखने का ढंग क्या है?
2. बालक को किस प्रकार पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया जाये?
3. बालकों को इस तेजी से बदलते समाज में किस तरह कुण्ठाओं से बचना है?
4. बुनियादी इच्छाओं के उदात्तीकरण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है।
5. कौन-2 से साधन बालक को कक्षा में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होंगे।
6. कौन-2 से साधन बालकों को सीखाने की प्रक्रिया में सहायक होंगे?

2. अधिगम - शिक्षण का ज्ञान :-
अध्यापक शिक्षा अध्यापकों को अधिगम-शिक्षण के सिद्धान्तों तथा शैलियों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इससे उसे सामूहिक रूप से अपना कार्य करने में सहायता प्राप्त होती है। उसके साथ-2 वह शिक्षा में सहायक सामग्रियों का सही प्रयोग करना सीख जाते हैं।

3. निर्देशन को संगठित करने का ज्ञान :-
अध्यापक शिक्षा अध्यापकों को विद्यालय में किस प्रकार सफल निर्देशन देना है इस बात के लिए सहायता करती है। जिसके आधार पर अध्यापक सफलतापूर्वक निर्देशन कार्यक्रमों को संगठित कर लेते हैं।

4. शिक्षण में आकर्षण पैदा करना :-
यदि अध्यापक कुशल है तथा उसने पूर्ण रूप से शिक्षण प्राप्त किया है तो वह नीरस लगने वाले शिक्षण कार्य को अपनी प्रतिभा से आकर्षक बना देता है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी उसमें रुचि लेने लग जाते हैं और अध्यापक को अपने उद्देश्यों में सफलता मिल जाती है।

5 पाठ्य-सहायक क्रियाओं के गहन का ज्ञान :- अध्यापक शिक्षा अध्यापकों को विभिन्न पाठ्य-सहायक क्रियाओं को निरीक्षित करने तथा उनमें भाग लेने में सहायता प्रदान करती है।

6 अध्यापक का सर्वांगीण विकास करती है :- अध्यापक शिक्षा अध्यापक के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक योग्यताओं का विकास कर उसे सम्पूर्ण अध्यापक बनाने में सहायता करती है।

अध्यापकों में व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक गुणों के नाम पर निम्न विशेषताएं होनी चाहिए -

1 अध्यापक के व्यक्तिगत गुण :- साफ प्रवृत्तियां, प्रेरणाप्रदर्शित, उदारवादी दृष्टिकोण, अच्छी आदतें आदि इस श्रेणी में आते हैं।

2 बौद्धिकता :- बुद्धिमत्ता, सामान्य ज्ञान, विनोदप्रियता, निर्णय शक्ति आदि।

3 व्यावसायिक आवश्यकताएँ :- विद्यार्थी के मनोविज्ञान, शिक्षण कला, शिक्षण विधियों के उद्देश्य एवं शिक्षण सामग्री का पूरा ज्ञान होना।

4 सामाजिक समायोजन :- सामाजिक नैतिक व्यवहार तथा दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाना आदि।

5 सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक पृष्ठभूमि :- विषय-वस्तु, सामान्य बातों तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना आवश्यक है।

भारत में अध्यापक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास कोठारी आयोग रिपोर्ट (1964-66)

Q. ~~अध्या~~ भारत में अध्यापक शिक्षा में ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए।

अथवा

अध्यापक शिक्षा के विकास के बारे में कोठारी आयोग (1964-66) ने क्या कहा है? वर्णन करें।

उ० परिचय :-

स्वतंत्रता के बाद भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास तेज गति से हुआ है। विभिन्न आयोगों तथा नई शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा के विकास पर जोर दिया है।

अध्यापक शिक्षा पर माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव :-

अध्यापक शिक्षा पर माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव इस प्रकार हैं:-

1 दो प्रकार की संस्थाएँ :-

अध्यापक प्रशिक्षण के लिए मना दो प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए —

1 स्नातकों के लिए एक वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए

2 जो हाई-स्कूल या हायर-सेकेण्डरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, के लिए दो वर्षीय अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

2 व्यवहारिक शिक्षण :- Practical Teaching

व्यवहारिक शिक्षण अभ्यास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन उसमे अन्दर केवल शिक्षण अभ्यास निरीक्षण तथा आलोचना का समावेश ही नहीं अपितु इसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का शिक्षण विद्यार्थी सभाओं का गठन तथा पुस्तकालय संबंधी अध्ययन पीरियड की व्यवस्था करना आदि शामिल होना चाहिए।

(In-Service Training)

3. सेवा-कालीन प्रशिक्षण :-
प्रशिक्षण महाविद्यालयों को निम्न क्रियाओं के आयोजन द्वारा सेवा-कालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए
1. अभिनव-कोर्स 2. विशिष्ट विषयों में लघु-कोर्स
3. कार्यशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण व सेमिनार तथा वृत्तिक सम्मेलन

4. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं पर नियन्त्रण :-
स्नातक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थायें विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत तथा उनके साथ जुड़ी होनी चाहिए।

5. पाठ्य-सहायक क्रियाओं में प्रशिक्षण होना चाहिए

6. प्रवेश तथा पाठ्यक्रम की अवधि से पहले अध्यापकों की तैयारी होनी चाहिए।

7. शिक्षण प्रशिक्षण व्यावसायिक का होना जरूरी है।

8. प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा शिक्षण में अनुसंधान होना चाहिए।

9. प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं से संबंध होना चाहिए।

अध्यापक शिक्षा पर भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव :— "कोठारी आयोग"

अध्यापक शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा — "शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम आवश्यक है।" अध्यापक शिक्षा के संबंध में 'कोठारी आयोग' ने अध्यापक शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया तथा अनेकवाद इस शिक्षा के सुधारों के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत किये।

1 अध्यापक शिक्षा के दोष: (Defects of Teacher education)

(1) प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य निम्न अथवा साधारण दर्जे का है।
2. प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में नवीनता सजीवता तथा वास्तविकता का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है।
3. प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने वाले अधिकतर प्रशिक्षण परम्परागत है।
4. प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले योग्य अध्यापकों की कमी
5. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का इन विद्यालयों के दैनिक जीवन तथा विश्वविद्यालय से किसी भी तरह का कोई लेना-देना नहीं है।

: अध्यापक शिक्षा की त्रुटियों को दूर करने के उपाय :—

1 अध्यापक शिक्षा की पृथकता का अन्त :—

'कोठारी आयोग' ने कहा—
अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसे एक तरफ विश्वविद्यालयों के साहित्यिक जीवन से तथा दूसरी तरफ विद्यालय-जीवन एवं शिक्षण सम्बन्धी नवीनतम विचारों के सम्पर्क में लाया जाना अति आवश्यक है।

I विश्वविद्यालय जीवन से अध्यापक शिक्षा की पृथकता को दूर करना
1 शिक्षा का अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करना।
2 शिक्षा के विद्यालयों की स्थापना करना।

II विद्यालयों से अध्यापकों की पृथकता को दूर करना।

1 विस्तार कार्यों का पुनर्गठन
2 कार्यरत अध्यापकों का तबादला।
3 पुराने विद्यार्थियों से संघों की स्थापना।
4 चुने गए विद्यालयों के सहयोग से शिक्षण अभ्यास गठित करना।

III संस्थाओं की परम्परागत एकरूपता को दूर करना।—

I सभी प्रशिक्षण संस्थाओं का स्तर ऊँचा करना।
II विस्तृत शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना करना।

2 चयन व्यवस्था में सुधार।—
अध्यापक शिक्षा के लिए जिन विद्यार्थियों का तथा जिन तरीकों से चयन किया जाता है, वह त्रुटिपूर्ण है चयन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए—

I उन विद्यार्थियों को योग्य माना जाना चाहिए जिन्होंने, B.A, B.Sc/B.Com में कम से कम 55% अंक अर्जित किए हों

II केवल योग्य एवं इच्छुक विद्यार्थियों का ही चयन होना चाहिए।

III दाखिला देने से पहले विद्यार्थियों के रुझान, रुचि तथा दृष्टिकोण को जानने के लिए एक साक्षात्कार रखा जाना चाहिए ताकि योग्य विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिल सके।

3 आवश्यकता के हिसाब से प्रवेश लेने चाहिए।
4 क्षमतावान अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए।
5 व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक जोर देना चाहिए।
6 पाठ्यक्रम, शिक्षण तथा मूल्यांकन की विधियों में सुधार करना चाहिए।
7 सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए।
8 अनुसंधान कार्य तथा प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चाहिए।
9 अध्यापक शिक्षा के संयुक्त महाविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए।
10 ट्यूशन शुल्क की छूट होनी चाहिए।
11 अंशकालिक सुविधाएँ होनी चाहिए।
I पत्राचार शिक्षा — Correspondence Education
II अंशकालिक कोर्स — Part-time Course

अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए कोठारी आयोग के सुझाव:-

1 अध्यापक शिक्षा में खाई को दूर करना:-
अध्यापक शिक्षा को विश्वविद्यालय एवं विद्यालय से पृथकता को समाप्त करने के लिए कोठारी आयोग ने बहुत से सुझाव दिये। आयोग ने कहा, "शिक्षा को स्वतन्त्र रूप से एक विषय मानना चाहिए। उपस्नातक स्तर पर इसे

एक इलैक्टिव विषय के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए।"

2 अध्यापक शिक्षा के स्तर में सुधार :-
अध्यापक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए आयोग ने जो सुझाव दिए वे निम्न है।
I अध्ययन विधियों में सुधार किया जाना चाहिए।
II अध्यापकों को विषय ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए
III मूल्यांकन में नई तथा आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग।
IV छात्र शिक्षण में व्यापक सुधार।
V पाठ्यक्रम को दोहराया जाए तथा यदि उसमें सुधार की गुंजाइश हो तो पहले सुधार किया जाए।

3 नए अध्यापकों को प्रोत्साहन :-
आयोग के अनुसार शिक्षा विभाग का यह नैतिक कर्तव्य है कि जिन व्यक्तियों की नई नियुक्ति होती है, उन्हें प्रशिक्षण संस्थाओं के वातावरण को समझाने में सहायता करनी चाहिए।

4 अध्यापक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना :-
अध्यापक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आयोग ने सलाह दी कि U.G.C, NCERT तथा विभिन्न संगठनों और विद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।

5. विभिन्न स्तरीय की पृथकता को दूर करना चाहिए।
6. प्रशिक्षण संस्थाओं के आकार को लेकर भी आयोग ने सुझाव दिए हैं।
7. विद्यालय अध्यापकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए।
8. उच्चतर शिक्षा के अध्यापकों की व्यवसायिक तैयारी के लिए भी शिक्षा आयोग ने सुझाव दिये हैं।

Q 2. अ

Q. अध्यापक शिक्षा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

Ans अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य:-
आज अध्यापक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज उपयोगी व प्रभावशाली अध्यापकों को तैयार करना है।
1. अध्यापक को भिन्न-2 प्रचलित तथा आधुनिकतम विधियों से अवगत कराना।
2. अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान देना।
3. कक्षा प्रबन्ध तथा शिक्षण सिद्धान्तों की जानकारी मुहैया करवाना
4. छात्रों की निजी समस्याओं को समझने तथा उन्हें हल करना।

5 अध्यापक को अपने दर्शन निर्माण के साथ-2 विभिन्न-2 दर्शनों का ज्ञान देना।
6 श्यामपट्ट लेखन तथा चित्रण में अध्यापकों को दक्ष करना।
7. उन्हें पाठ संबंधी विषय-वस्तु की योजना बनाने का ज्ञान देना।
8 श्रेणी स्तर के आधार पर ज्ञान देने की योग्यता पैदा करना।
9. विद्यालय की पाठ्यक्रम क्रियाओं के संगठन, पर्यवेक्षण और अभिलेख लेने के लिए अध्यापकों की सहायता करना।
10. छात्रों खासतौर से किशोरों की आयुवृद्धि और प्रक्रिया के प्रति अध्यापकों की जानकारी बढ़ाना।
11 विभिन्न-2 विधियों द्वारा छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना सिखाना।
12 शैक्षिक सामग्री का सही इस्तेमाल सिखाना।
13. छात्रों की प्रकृति के प्रति सूझ का विकास करने के लिए अध्यापकों की सहायता करना।
14. विद्यालय में अध्यापक को, विभिन्न-2 कर्तव्यों को निभाना है, इस बात का ज्ञान देना।

Sem = II
Paper - IV
Unit - II

Q. पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के सम्प्रत्यय का वर्णन कीजिए
अथवा

पूर्व सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा की प्रकृति का वर्णन करते हुए इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

अथवा

पूर्व सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र की विवेचना कीजिए।

उत्तर परिचय:-
शिक्षा व्यवसाय में प्रवेश करने से पूर्व अध्यापक जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसे पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कहा जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही शिक्षा व्यवसाय को अपनाने के इच्छुक व्यक्ति ही शिक्षण कार्य के योग्य समझे जाते हैं। इसलिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर के अध्यापकों को शिक्षा कार्य में आने से पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है।

परिभाषाएं :-

1 प्रो. एस. एन. मुखर्जी के अनुसार :- "विभिन्न शिक्षा केन्द्रों में सुधार की आवश्यकता है। इस उद्देश्य हेतु अध्यापक शिक्षा एक बेहतर शब्द है, क्योंकि यह अध्यापक निर्माण संबंध क्षेत्र में निपुण बनाती है।" 1

2 प्रो. हुमायुं ने कहा है कि - "अध्यापक के बिना सर्वोत्तम प्रणाली भी समाप्त हो जाती है। अच्छे अध्यापकों के साथ प्रणाली के दोषों को दूर किया जा सकता है।" 2

3 अध्यापक शिक्षा आयोग के अनुसार :- "शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यवसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है। अध्यापक शिक्षा के संबंध में आयोग ने पहले शिक्षक के दोषों का उल्लेख किया है।" बाद में दोषों के निराकरण के लिए सुझाव दिया। 3

4 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अनुसार :- अध्यापक शिक्षा विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण निवेश है।" 4

पूर्व सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता (Need of Pre-Service teaching education)

1. बच्चे के विषय में ज्ञान :-
अध्यापकों को विद्यार्थियों की पारिवारिक वातावरण, समस्याएँ और रुचि को ध्यान में रखते हुए बाल केन्द्रित रूप में शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए।

2. मनोविज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता :-
~~मनोविज्ञान~~ अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान के ज्ञान के बिना बच्चों की रुचियों, भावनाओं मूल प्रवृत्तियों और आकांक्षाओं को समझने में असमर्थ होता है।

3. अधिगम शिक्षण का ज्ञान :-
अध्यापक शिक्षा अध्यापक को अधिगम शिक्षण सिद्धांतों, शैलियों एवं प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करती है।

4. निर्देशन को संगठित करने का ज्ञान :-
प्रशिक्षित अध्यापक संस्था और अधिकारियों के दिशा-निर्देशन के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था निर्धारित करता है।

5 विषय का ज्ञान :- प्रशिक्षित अध्यापक पढ़ाने जाने वाले पाठ की पूर्व तैयारी करके, उदाहरण देकर पाठ को स्पष्ट और सरल बनाने का प्रयास करता है।

6 सुनियोजित शिक्षा की व्यवस्था :- सुनियोजित शिक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य है, शिक्षा संबंधी समस्याओं, रुकावटों को समझकर और व्यवहारिक पक्षों को सुनियोजित करके शिक्षा देना अध्यापक के लिए उत्तम व्यवस्था है।

7 मूल्यांकन विधियों का ज्ञान :- शिक्षित अध्यापक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अर्धवार्षिक, वार्षिक लिखित और मौखिक निरन्तर व्यापक मूल्यांकन पद्धति से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में लगनशील रहता है। इसलिए अध्यापकों के लिए पूर्व शिक्षा नितांत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

Unit- II
Paper IV
Sem- II

2

3

पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य :-
आज अध्यापक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज उपयोगी व प्रभावशाली अध्यापकों को तैयार करना है। पूर्व सेवाकाल के मुख्य उद्देश्य निम्न है।

1 अध्यापकों को भिन्न-2 प्रचलित तथा आधुनिकतम विधियों से अवगत कराना
2. अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान देना।
3. कक्षा प्रबन्धन तथा शिक्षण सिद्धान्तों की जानकारी मुहैया करवाना
4 छात्रों की निजी समस्याओं को समझने तथा उन्हें हल करना
5 विद्यालय में अध्यापक को विभिन्न-2 कार्यों को निभाना है, इस बात का ज्ञान देना।
6 विभिन्न विधियों द्वारा छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना सिखाना।
7. मौजी स्तर के आधार पर ज्ञान देने की योग्यता एवं कुशलता में सक्षम होना।
8 श्यामपट्ट लेखन एवं चित्रण में अध्यापकों दक्ष करना।
9. अध्यापक को अपने दर्शन निर्माण के साथ-2 भिन्न-2 दर्शनों का ज्ञान देना।
10. उन्हें पाठ संबंधी विषय-वस्तु की योजना बनाने का ज्ञान देना।

देश मे शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता लाने के लिए पूर्व सेवा-कालीन और सेवाकालीन शिक्षा, विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के लिए उद्देश्यों से भरपूर है।

माध्यमिक और प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए पूर्व प्रशिक्षण की अलग-2 D.Ed, B.Ed तथा M.Ed की संस्थाएं है।

NCERT and NCTE

प्र.2 पाठ्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है? अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की संरचना का वर्णन कीजिए।

उत्तर: परिचय:-

पाठ्यक्रम शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र में इसका एक विशेष स्थान है, जो उद्देश्यों एवं आदर्शों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा साधन है, जो अध्यापक तथा छात्र को जोड़ता है। अध्यापक पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों के मानसिक शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, अध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है।

पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण एवं अध्यापकों को दिशा-निर्देश के अवसर प्राप्त होते हैं।

पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ:-

पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी में करीक्युलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। करीक्युलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरेर से हुई है। क्यूरेर का मतलब है 'दौड़ करना' या 'भागना' जैसे- दौड़ के मैदान में कोई व्यक्ति दौड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है वैसे ही पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

पाठ्यक्रम का संकुचित तथा व्यापक अर्थ:-

संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम केवल पाठ्यचर्या से अधिक कुछ नहीं। इस मत के अनुसार विभिन्न विषयों के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषयों के तथ्यों की सीमा तथा विस्तार निश्चित कर दिया जाता है। जिससे सैद्धान्तिक ज्ञान का स्वरूप होता है तथा जिसका निर्माण शिक्षाविद् करते हैं परन्तु व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम का तात्पर्य उन सभी अनुभवों से लिया जाता है, जिन्हें बालक अपनी रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न

क्रियाओं द्वारा कक्षा के अंदर या बाहर हर समय प्राप्त करता रहता है।

पाठ्य वस्तु तथा पाठ्यक्रम में अन्तर :—

पाठ्य वस्तु	पाठ्यक्रम
1 पाठ्य वस्तु पाठ्यक्रम का केवल एक भाग है	पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया का पूर्ण तथा अभिन्न अंग है।
2 पाठ्यवस्तु में सैद्धान्तिक ज्ञान का स्वरूप होता है।	पाठ्यक्रम का रूप व्यापक होता है
3 पाठ्य वस्तु का निर्माण शिक्षाविद् करते हैं।	पाठ्य क्रम का निर्माण अध्यापक स्वयं करता है।
4 पाठ्य वस्तु में ज्ञानात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिया जाता है।	पाठ्यक्रम में छात्र के संतुलित विकास पर ध्यान दिया जाता है।
5 पाठ्य-वस्तु में विषय से संबंधित क्रियाएँ होती हैं।	पाठ्य क्रम में ज्ञानात्मक कौशलात्मक एवं भावात्मक पक्षों से संबंधित क्रियाएँ होती हैं।
6 पाठ्य वस्तु का क्षेत्र सीमित होता है।	पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक होता है।

पाठ्यक्रम की परिभाषा :-

1 क्रोनिंघम के अनुसार :- "पाठ्यक्रम अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है, जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी धागे को अपने कलाकृति रूपी स्कूल में अपने उद्देश्य के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करता है।"

2 डॉ. आर. एन सक्सेना के अनुसार :- "पाठ्यक्रम स्कूलों में निर्देशन के लिए एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किए गए विषय समूहों के अध्ययन की विषय-वस्तु है।"

3 एलीजाबैथ मैस्सी के अनुसार :- "पाठ्यक्रम छात्रों के लिए निर्धारित निर्देश सामग्री है।"

पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा :- हमारा समाज गतिशील है, इसमें निरन्तर परिवर्तन आते रहते हैं। कई बार ये परिवर्तन निरन्तरता के कारण दिखाई नहीं देते तथा कई बार ये

बार ये अचानक होने के कारण दिखाई देते हैं। जहाँ एक ओर समाज में परिवर्तनों की निरन्तरता देखने में आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान का विस्फोट भी हो रहा है ऐसा अनुमान है कि जितना ज्ञान में वृद्धि पिछले बीस वर्षों में हुई है, उतनी उससे पिछले दो हजार वर्षों में भी नहीं हुई थी। हम यह जानते हैं कि आज के बालक को इस परिवर्तनशील समाज की आवश्यकताओं से जूझना है, इसलिए हमें उस ज्ञान एवं कौशलों का पुनः अवलोकन करना होगा, जो हम बालकों को सिखाना चाहते हैं।

1. फ्रोबेल के अनुसार:-
"पाठ्यक्रम को मानवजाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभवों का केन्द्र बिन्दु समझना चाहिए।"

2. किलपैट्रिक के अनुसार:-
"यह (पाठ्यक्रम) विद्यार्थियों का उस सीमा तक सम्पूर्ण जीवन है जिस सीमा तक विद्यालय इसे अच्छा या बुरा बनाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार :- "यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आज की सर्वोत्तम विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल सैद्धान्तिक विषयों से ही नहीं है जो विद्यालय में परम्परागत विधि से पढ़ाए जाते हैं परन्तु इसमें वे सभी अनुभव पूर्णतः निहित हैं जिनको बच्चा विद्यालय में प्राप्त करता है। इस दृष्टि से विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है तथा वहाँ विद्यार्थियों के जीवन के सभी पहलुओं के सम्पर्क में आकर उनके व्यक्तित्व के सन्तुलित विकास में सहायक होता है।"

अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की संरचना :- अध्यापक शिक्षा निम्न दो वर्गों में विभाजित है—

पूर्व सेवा कालीन

सेवा कालीन

समय के अनुसार अध्यापक शिक्षा में क्षेत्र विस्तृत होता गया। उसमें बेसिक औपचारिक तथा व्यावसायिक व विशिष्ट अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों को भी शामिल कर लिया गया।

: पूर्व सेवाकालीन पाठ्यक्रम संरचना :-

अध्यापक को प्रशिक्षित करने के लिए प्रायः अनेकों विषयगत ज्ञान एवं अनुभवों को ग्रहण करना पड़ता है। इसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास शास्त्र आदि विषय सम्मिलित हैं। इन विषयों के अभाव में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में दक्षता में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है।

NCERT द्वारा सामान्य रूप से एक ऐसे पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसमें भारतीय परम्परा और राष्ट्रीय लक्षणों उपलब्धियों का अनुसरण हो सके। इस पाठ्यक्रम में आधुनिक शैक्षिक विकास और सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक दोनों पक्षों को आवश्यक माना गया है।

NCERT व NCTE के द्वारा अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की संरचना निम्न प्रकार से की गई है -

I भारतीय संविधान में जिन राष्ट्रीय मूल्यों, लक्षणों के बारे में स्पष्टीकरण किया गया है, भावी अध्यापक सेवापूर्व कालीन अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के द्वारा उनकी क्षमता को करना।

II सामाजिक व अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध के प्रति जागरूकता पैदा करना।

III भावी अध्यापक को आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य हेतु सक्षम बनाना।

IV पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्यापक की दक्षता तथा कौशल आदि को उनमें विकसित करना।

V सामाजिक उपयोगिता, प्रबन्धात्मक व संगठनात्मक कौशलों का विकास करना आदि।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की संरचना:- सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत सेवारत अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम द्वारा उनकी कार्यक्षमता और कुशलता को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा को भी शिक्षा के समान एक जीवनव्यापी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जायेगा। अतः सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को अविच्छेदन अंग के रूप में देखा जाने लगा।

आज ज्ञान के विस्फोट के साथ ही कई अन्य परिवर्तन भी आज निरन्तर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं। सामाजिक लक्ष्य एवं चेतना

में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। साथ ही उसी के अनुसार शैक्षिक संरचना पाठ्यक्रम प्रारूप, पाठ्यक्रम प्रस्तुतीकरण, व्यूह रचना मूल्यांकन, आदि प्रक्रिया के क्षेत्र में भी निरन्तर परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।

इस प्रकार हम सेवाकालीन कार्यक्रम (पाठ्यक्रम) को एक प्रवाह चित्र के रूप में प्रकट कर सकते हैं—

दीर्घकालीन अध्ययन पाठ्यक्रम
↓
अल्पकालीन अध्ययन पाठ्यक्रम
↓
संस्थान भ्रमण
↓
दिशा-निर्देशन / पाठ्यक्रम
↓
अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन यात्रा
↓
शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम
↓
सहभागिता कार्यक्रम

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अनुसार सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के निम्न संरचनात्मक उद्देश्य होंगे:-

1. न्यून योग्यता वाले अध्यापकों की योग्यता में उन्नयन करना।
2. पाठ्यक्रम निर्माण इस प्रकार से किया जाये कि सेवारत अध्यापकीय दक्षता का स्त्रोत उन्नयन हो।
3. आधुनिक एवं नवीन भूमिकाओं के लिए अध्यापकों को तैयार करना ताकि वे उनका निर्वाह करने में सक्षम हो सकें।
4. पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षणगत कमियों तथा न्यून से दूर।

निष्कर्ष:-

अन्त में हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्तर में उन्नयन हेतु एक सुदृढ़ पाठ्यक्रम प्रारूप आवश्यक है जिससे अध्यापक और अध्यापक के कार्यों का ज्ञान एवं अनुभव तथा स्वाध्ययन को समृद्ध किया जा सके। पाठ्यक्रम का सर्वविदित उद्देश्य अध्यापकीय मानसिक दृष्टिकोण को अधिक व्यापक बनाना और उद्देश्य को ग्रहण करना ही होता है।

Components of Pre-Service Teacher Education

Q. पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के घटकों का वर्णन कीजिए।

Ans पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के मुख्य घटक निम्न लिखित है

1 आधारभूत पाठ्यक्रम (Foundation Courses) :— आधारभूत पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्र अध्यापकों, अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षित करने के लिए आधारभूत विषयों के बारे में सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान करता है। पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा में माध्यमिक स्तर पर आधारभूत पाठ्यक्रम में निम्न विषय शामिल हो सकते हैं—

1. बाल्यावस्था तथा विकास
2. समकालीन भारत तथा शिक्षा
3. अधिगम तथा शिक्षण
4. पाठ्यक्रम के तहत भाषा
5. अध्ययन क्षेत्रों तथा विषयों की समझ
6. लिंग, विद्यालय तथा समाज
7. ज्ञान तथा पाठ्यक्रम
8. अधिगम के लिए आकलन
9. समावेशी शिक्षा का सृजन

2 विषय विशेषता (Subject Specialization) :— पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा में विषय विशेषता का अभिप्राय किसी विषय में विशेषज्ञता प्राप्त

करना है। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा में निम्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त की जा सकती है:-

1 भाषा शिक्षण (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत)
2 गणित शिक्षण
3 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा
4 कम्प्यूटर विज्ञान शिक्षण
5 सामाजिक विज्ञान शिक्षण
6 वाणिज्य शिक्षण
7 जीव विज्ञान शिक्षण
8 भौतिक विज्ञान शिक्षण
9 कला शिक्षण
10 गृह विज्ञान शिक्षण
11 अर्थशास्त्र शिक्षण

II शिक्षा शास्त्र:- शिक्षा शास्त्र के अन्तर्गत उन सभी तरीकों या साधनों का प्रयोग किया जाए जिससे शिक्षण कार्य को अधिक से अधिक सफलता और प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा किया जा सके जिससे हम पूर्व निर्धारित परिणामों को पाने हेतु कम से कम धन व शक्ति का प्रयोग करके प्राप्त कर सके।

विषय-वस्तु विश्लेषण क्या है और किस प्रकार शिक्षा-शास्त्रीय विश्लेषण से यह भिन्न है:- पाठ्यक्रम में शामिल किसी भी विषय हेतु जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है उसमें इस तरह

की विषय-वस्तु तथा सीखने के अनुभवों को स्थान देने का प्रयत्न किया जाता है जिसके शिक्षण-अधिगम के लिए विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

एक अध्यापक के शिक्षण में शिक्षाशास्त्र की भूमिका :-
~~को अपने~~ शिक्षा शास्त्र अध्यापक को अपने कार्य में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षण अधिगम को चार मुख्य भागों में दिखाया गया है —

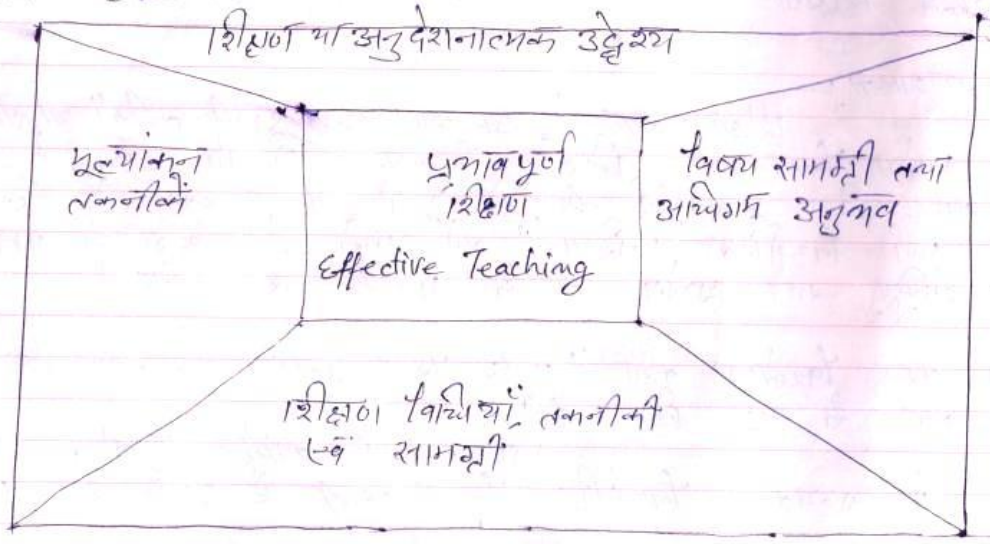

Eval

मूल्यांकन प्रविधियाँ :- शिक्षण - अधिगम प्रक्रिया को ठीक तरह चलते रहने के लिए उस पर विधिवत नियन्त्रण बनाये रखने की जो आवश्यक होता है। शिक्षा शास्त्र इस कार्य हेतु उपयुक्त मूल्यांकन प्रणाली के निर्माण तथा तथा कार्यान्वयन पर बल देता है।

विशेष क्षेत्र (Special Fields) :- विशेष क्षेत्र में वे पाठ्यक्रम शामिल होते हैं, जो आधार भूत पाठ्यक्रम तथा विषय विशेषज्ञता पाठ्यक्रम से अलग होती है। जैसे -

1. प्रौढ़ शिक्षा 2. दूरस्थ शिक्षा 3. कार्यानुभव
4. निरौपचारिक शिक्षा 5. विशिष्ट शिक्षा

विद्यालय आधारित अभ्यास तथा इन्टर्नशिप :- (School Based Practicum and Internship)

विद्यालय आधारित अभ्यास वह शिक्षण शिक्षण अभ्यास है, जो भावी अध्यापकों को विद्यालय में करवाया जाता है। विद्यालय आधारित अभ्यास में निम्नलिखित क्रियाओं को शामिल किया जाता है -

1 प्रतिमान / प्रदर्शन पाठों का निरीक्षण।
2 पाठयोजना का निर्माण करना।
3. आवश्यक अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का निर्धारण
4 शिक्षण कौशल तथा विधियों का प्रयोग समुचित ढंग से करते हुए पाठों का प्रस्ततीकरण।
5 इन्टर्नशीप एक प्रारूप है, जिसका उपयोग क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के द्वारा शिक्षण अभ्यास हेतु किया जाता है।

पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के माध्यम

Modes of Pre-Service Teacher Education

Face to Face Mode आमने-सामने का माध्यम

Q1 पूर्व सेवाकालीन शिक्षा के आमने-सामने के माध्यम का वर्णन कीजिए अथवा

पूर्व सेवाकालीन शिक्षा के आमने-सामने के माध्यम के गुण व सीमाएं बताइए।

र परिचय :- "अध्यापक शिक्षा में वे सभी अनुभव तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, जो किसी भी व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय का दायित्व संभालने की योग्यता प्रदान करती है।"

"अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य उन तमाम शैक्षणिक अनुभूतियों से है, जो किसी भी व्यक्ति को स्कूल में शिक्षण के लिए तैयार करती है। सामान्य रूप से इसका सम्बन्ध उन कोर्सों या उन अनुभवों से होता है जो किसी संस्थान द्वारा शिक्षण व्यवसाय के लिए तैयार किये जाने वाले व्यक्तियों को प्रदान किये जाते हैं।"

अध्यापक शिक्षा में, शिक्षक छात्रों के व्यक्तित्व के सभी तत्व सम्मिलित होते हैं। अतः अध्यापक शिक्षा एक ऐसी संस्थागत प्रक्रिया है, जो अध्यापकों को उद्देश्यपूर्ण एवं संगठित रूप से तैयार करती है। या उन व्यक्तियों को और अधिक शिक्षा प्राप्त करती है, जो ~~अध्यापकों~~ अपने जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण क्रिया में लगे हुए हैं। इस शिक्षण पद्धति में अध्यापक निश्चित समय में विषय-वस्तु तथा निश्चित अवधि में कक्षा-2 सम्प्रेषण द्वारा भावी अध्यापकों में

आदतों, कौशलों, ज्ञान और दृष्टिकोणों इत्यादि का विकास करता है। इस प्रकार की पूर्व सेवाकालीन, अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत J.B.T, B.Ed, M.Ed, M. Phil, M.A. Edu. इत्यादि कोर्स आते हैं।

अध्यापक शिक्षा में आमने-सामने के माध्यम के गुण :-

1. इसमें शिक्षण, शिक्षक और विद्यार्थी के सीधा सम्प्रेषण द्वारा होता है।
2. फेस टू फेस पद्धति में समय, स्थान व अवधि निश्चित होती है
3. इस विधि में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए उचित शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है।
4. फेस टू फेस शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षक के व्यावहारिक कार्य और अनुभव शामिल होते हैं।
5. इस प्रक्रिया में पुनर्बलन, उद्दीपन आदि का प्रयोग किया जाता है।
6. इस पद्धति में सक्रिय रूप, शिक्षण अधिगम होता है।
7. इस पद्धति में एक निश्चित समय के बाद शिक्षक शिक्षार्थी का मूल्यांकन करता है।
8. इस पद्धति में द्विपक्षीय सम्प्रेषण होता है। अध्यापक के अध्यापन कार्य के पश्चात् शिक्षार्थियों से प्रतिपुष्टि मिलने पर ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सम्पूर्ण होती है।

आमने - सामने के माध्यम की सीमाएं :—

1. इस पद्धति में समय, शक्ति, व्यय अधिक खर्च होते हैं।
2. यह पद्धति मानदण्डों में अत्यधिक कठोर है।
3. यह पद्धति शिक्षार्थियों की इच्छानुसार कक्षागत व्यवहार में ढील नहीं देती।
4. शिक्षक को अपने विषय का सम्पूर्ण ज्ञान ना होने पर छात्र अध्यापक इस ज्ञान से वंचित रह जाता है।
5. अध्यापक का व्यक्तित्व एवं आदर्श स्वरूप होना चाहिए क्योंकि कक्षीय अन्तः क्रिया के दौरान अध्यापक अध्यापक के व्यक्तित्व के गुणों का शिक्षार्थी पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसके अभाव में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

Sem – II
Paper – IV
Unit – III (5) In-Service Teacher Education

प्रश्न सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का सम्प्रत्यय क्या है इसकी आवश्यकता क्या है? वर्णन करें।

अथवा

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों तथा व्यावसायिक विकास के क्षेत्र का वर्णन कीजिए।

उ० अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा का अर्थ:–

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जो उन लोगों को दी जाती है जो पहले से ही व्यापरत होते हैं। यह शिक्षा इस आदर्श पर आधारित है कि एक सच्चा तथा वास्तविक अध्यापक जीवनपर्यन्त स्वयं समर्पित विद्यार्थी रहता है। केवल वही व्यक्ति अध्यापन कार्य कर सकता है जो स्वयं पढ़ा लिखा हो तथा जो आजीवन सीखते रहने के लिए के लिए तैयार रहता है।

सेवाकालीन शिक्षा को अच्छी तरह समझने लिए कुछ शिक्षाविदों ने कुछ परिभाषाएँ दी है जो निम्न है –

एच. एम. एस लॉरेंस ने कहा है कि "सेवाकालीन शिक्षा वह शिक्षा है जो अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करके शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के पश्चात प्राप्त करता है। इनमें वे सब कार्यक्रम शिक्षा सम्बन्धी सामाजिक तथा अन्य सम्मिलित हैं जिनमें अध्यापक सक्रिय भाग लेता है। वह सभी अतिरिक्त शिक्षा जो अध्यापक विभिन्न कोर्सों द्वारा प्राप्त करता है तथा उसकी सभी यात्राएँ तथा भ्रमण भी इसी में सम्मिलित हैं।"

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता :—

1 निरन्तर सुधार :— सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का सबसे बड़ा कारण स्कूल के समूचे व्यावसायिक कर्मचारी वर्ग की निरन्तर उन्नति में सुधार करना है।

2 नए अध्यापकों की सहायता :— एक बार उद्देश्य अध्यापकों को सहायता देना है जो इस व्यवसाय में नए प्रवेश करते हैं, किसी नवीन स्कूल में नए हैं अथवा व्यवसाय में किसी नवीन

क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।

3. कमियों को दूर करना :-
सेवाकालीन अध्यापकों की शिक्षा का उद्देश्य या आवश्यकता अध्यापकों की तथा शिक्षा के क्षेत्र में अन्य लगे व्यवसायिक कर्मचारियों की भूमिका में जो कमियाँ रह गई हैं उन्हें दूर करना है।

4 नवीन पाठ्यक्रम :-
सतत् तथा क्रमिक सामाजिक परिवर्तनों के कारण पाठ्यक्रम में निरन्तर सुधार की आवश्यकता है तथा इससे अधिकारियों का यह दायित्व बन जाता है कि वे सेवारत अध्यापकों को नए सिरे से प्रशिक्षण दें व तथा उन्हें नये पाठ्यक्रम से परिचित करवाएं।

5. प्रश्न :- अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज अध्यापकीय शिक्षा का अन्त नहीं है कुछ अध्यापक चाहे प्रशिक्षित होते हैं उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

6 नवीन शिल्पों की सिखलाई :-
प्रशिक्षण कॉलेजों में कार्यशालाओं के आयोजन से वह एक-दूसरे के विचारों का आदान-प्रदान कर

सेवाकाल में ही नवीन शिल्पों को सीखने में सहायता प्राप्त करते हैं।

7 सम्बन्ध बढ़ाने में सहायक :- सेवाकालीन कोर्सों के मध्य बहुत से अध्यापक आपस में इकट्ठे होते हैं। सह-शिक्षकों में इससे एक प्रकार की मित्रता तथा आपसी भाई-चारे की भावना उत्पन्न होती है।

8 निःसरण की रोक :- यह टिप्पणी की गई है कि कभी-2 सेवाकालीन शिक्षक शैक्षिक व्यवसाय में निःसरण को भी रोकता है यह शिक्षा के व्यवसाय को आकर्षक बनाता है क्योंकि इसके माध्यम से वृद्धि की भावना को बल मिलता है।

9 पुनर्निर्माण का कार्य :- अन्त में यह शिक्षा-पुनर्निर्माण के कार्य को सुगम बनाता है। यह अपने विषय के साथ सजीव सम्पर्क बनाए रखने में सहायक होता है। यह सीख रहे एवं समाज की धारणा पर आधारित है।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य :→ सेवारत अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है —

1. सेवारत अध्यापकों का उनके व्यावसायिक गुणों में वृद्धि करना
2. आधुनिक तथा नवीन भूमिकाओं के लिए अध्यापकों को तैयार करना।
3. अध्यापकों को नवीन पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रविधियों की जानकारी प्रदान करना।
4. सेवा पूर्वकालीन प्रशिक्षणगत कमियों तथा न्यूनताओं को दूर करना।
5. अध्यापकों की कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिए नए-नए उद्दीपनों को प्रदान करना।
6. शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग हो रही नवीन शिक्षण प्रविधियों तथा आविष्कारों से सेवारत अध्यापक को अवगत कराना।
7. अध्यापकों के मानसिक दृष्टिकोण में विस्तार करना।

व्यावसायिक विकास का क्षेत्र :→ शिक्षक बनकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह इतना सहज नहीं जैसा कि ऊपर लिखा है बालकों के भाग्य का निर्माण करने के लिए उसमें ऐसी पर्याप्त

(5)

योग्यताएं तथा क्षमताएं होनी चाहिए। ~~जिनकी चर्चा~~ सभी अध्यापक जब अध्यापक व्यवसाय में दाखिल होते होते हैं। इन क्षमताओं से युक्त होकर प्रभावशाली शिक्षक की भूमिका निभा सके, यह जरूरी नहीं होता। अध्यापक ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। उसमें जितना ज्ञान और जैसा ज्ञान होता है वैसा ही दूसरों को देता है। एक दीपक जो स्वयं नहीं जल सकता वह भला दूसरों को क्या प्रज्वलित कर सकता है। यही बात अध्यापक के साथ है। अगर वह अपने ज्ञान और कौशलों में समय के मुताबिक अभिवृद्धि नहीं करेगा, अध्यापक को अपने निर्वाह हेतु अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में समुचित परिवर्तन या विकास नहीं करेगा तो उससे शिक्षक प्रभावशीलता की जिन बातों की उम्मीद की जाती है वे पूरी नहीं हो सकेंगी।

(Types of In-Service for teacher)

2. अध्यापकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रमों के प्रकारों का वर्णन कीजिए
अथवा
सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा में सेमिनार का वर्णन करें व इसके क्या लाभ है वर्णन करें।

Ans. अध्यापकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रमों के प्रकारों का वर्णन इस प्रकार है:-

1 सेमिनार :- Seminar

सेमिनार सेवाकालीन शिक्षा का एक प्रभावशाली साधन है शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के लिए कई सेमिनार आयोजित किए जा सकते हैं जैसे 'पाठ्यक्रम में सुधार' Reforms in curriculum तथा नवीन शिक्षण पद्धतियाँ आदि। विभिन्न स्कूलों को सेमिनार में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। एक भली प्रकार से संगठित सेमिनार में समूचा कार्यक्रम सहयोगात्मक वातावरण में चलता है। ऐसे सेमिनारों में आयोजित ही सामान्य रूप से विषयों का चुनाव करते हैं। निर्देशक भाग लेने वालों के सामने विषय प्रस्तुत करता है, फिर उसे उप-विषयों में बाँटकर उपसमूहों के सामने विचार-विमर्श के लिए भेज दिया जाता है सेमिनार

में भाग लेने वाले व्यक्ति परस्पर विमर्श के पश्चात प्रस्तुत समस्या के समाधान के संबंध में किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करते हैं।

सेमिनार के लाभ :-

1. मैत्रीपूर्ण विचार-विमर्श के अवसर प्रदान करना :- सेमिनार द्वारा अध्यापकों को मैत्रीपूर्ण विचार-विमर्श का अवसर मिलता है। इससे औपचारिक सम्पर्क बढ़ते हैं और अध्यापकों के व्यावसायिक दृष्टिकोण में विकास होता है।

2. आत्म मूल्यांकन में सहायक :- सेमिनार अध्यापकों को अपने प्रयासों के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप वे अपने कक्षीय-विधियों में वांछित परिवर्तन कर सकें।

3. शीघ्र निर्णय करने में सहायक :- सेमिनार में श्रम-विभाजन की प्रक्रिया के कारण शीघ्र निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

4. कार्य के लिए जोश :- सेमिनार के उचित प्रयोग से अध्यापकों की हीन प्रवृत्तियों को दूर करके उनमें कार्य के प्रति उत्सुकता तथा जोश उत्पन्न किया जा सकता है। स्वतंत्र चिन्तन के द्वारा उनमें स्वतन्त्र व्यक्तित्व एवं विकसित नैतिकता का निर्माण होता है।

5. शंकाओं का समाधान :- सेमिनार के द्वारा शंकाओं का समाधान हो जाता है।

II Workshop कार्यशाला

कार्यशाला :- जैसा कि नाम से विदित होता है इसका अर्थ है "कार्य की शाला" कार्यशाला शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रयोग है। इन शालाओं में व्यवहारिक कार्य पर अधिक बल दिया जाता है। इन कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अध्यापकों को इन में सक्रिय होकर काम करना पड़ता है। कार्यशाला तथा सेमिनार में इस प्रकार का बहुत अन्तर है कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति सक्रिय रूप से कार्य किया करते हैं

और महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। कई प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है जैसे—

1. साहित्य निर्माण
2. नवीन मूल्यांकन विधियाँ
3. पुस्तकालय प्रबन्धन
4. पाठ्यक्रम निर्माण
5. पाठ योजना
6. शिल्प

बच्चे कार्यशाला में इनके बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कार्यशालाओं के आयोजन के लिए उपयुक्त समय ग्रीष्मावकाश है। शिक्षण महाविद्यालयों को शिक्षा विभाग के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

कार्यशालाओं की अनिवार्य विशेषताएँ:—

1. स्पष्ट उद्देश्य:—

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। इससे प्रयत्नों में अपव्यय की कमी आ जाती है।

2. सहगामी केन्द्रित:—

कार्यशाला की क्रियाएँ उससे भाग लेने वाले व्यक्तियों की समस्याओं, आवश्यकताओं तथा रुचियों के साथ सम्बन्धित होनी चाहिए।

3 विशिष्ट समस्याओं को परिभाषित करना :— कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट समस्याओं को प्रकट होने देना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।

4 लचीली टोलियाँ :— काम के लिए सामान्य समस्याओं से सम्बन्धित व्यक्तियों को स्पष्ट एवं लचीली टोलियाँ बनाई जानी चाहिए।

5 व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास :— कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्तियों की केवल व्यावसायिक समस्याओं का ही समाधान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास भी निश्चित होना चाहिए।

6 निरन्तर मूल्यांकन :— कार्यशाला में निरन्तर मूल्यांकन व्यक्तियों का नहीं होता, बल्कि निश्चित व्यक्तियों का होता है। कार्यशाला का निरन्तर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

7 अधिवेशन की काल-अवधि :— कार्यशाला के अधिवेशन की काल अवधि पर्याप्त होनी चाहिए।

8 व्यापक प्रतिनिधित्व :- शिक्षण व्यवसाय के विविध व्यक्तियों को कार्यशाला में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
9 अनौपचारिक क्रियाएँ।
10 साधन सामग्री का व्यापक संकलन।
11 पूर्णकालीन एवं अंशकालिक स्टाफ।
12. मध्यमान अवधि।
13 सामान्य समय सारणी।

कार्यशाला के आयोजन के लाभ :-

1 विचार विमर्श के अवसर प्राप्त होते हैं।
2 व्यावसायिक विकास के अवसर बढ़ते हैं।
3 सामूहिक चिन्तन एवं सम्मिलित योजना।
4 व्यक्तिगत सन्तुष्टि प्राप्त होती है।
5 समस्याओं का गम्भीर अध्ययन किया जाता है।
6 आत्म निर्देशन के द्वारा वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है।
7 नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होता है।

Orientation and Refresher Courses

अभिविन्यास तथा अभिनव कोर्स

अभिनव कोर्स का मुख्य कार्य दोनों शिक्षा के क्षेत्र मे अनुसन्धान द्वारा हो रहे नवीन विकासों से परिचित कराना है। नवीन शिक्षण विधियों, शिक्षा सम्बन्धी नवीन प्रयोगों, शिक्षण विषयों की नवीन गतिविधियों का परिचय देने के लिए अभिनव कोर्सों की व्यवस्था की जाती है। शिक्षकों को अभिनव कोर्सों के माध्यम से नए ज्ञान की जानकारी होती है। इस कोर्स में भाग लेने से शिक्षा मे अध्ययन कुशलता का विकास होता है। इससे शिक्षण प्रक्रिया में रोचकता आ जाती है। नए ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार के लिए यह बहुत ही उत्तम साधन है।

अभिनव कोर्सों के गठन एवं प्रशासन के लिए सुझाव :-

1 अध्यापक महाविद्यालयों की भूमिका :-

उच्च स्कूलों के अध्यापकों के लिए अभिनव कोर्सों के आयोजन मे शिक्षण महाविद्यालयों को शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। ऐसे कोर्स वास्तविक अर्थों मे व्यावसायिक कोर्स होने चाहिए।

2. विश्वविद्यालयों की भूमिका :-
विश्वविद्यालयों को विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए लघुकालीन कोर्सों की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि यह केवल महाविद्यालयों का ही काम नहीं।

3 समय :-
अभिनव कोर्सों के आयोजन का सर्वोत्तम समय छुट्टियों में होता है जब अध्यापकों के पास कक्षीय काम नहीं होता।

4. स्थान :-
अभिनव कोर्सों की व्यवस्था उन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में की जानी चाहिए जहाँ छुट्टियों में पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधाएँ तथा अन्य सामग्री विद्यमान हो परन्तु कई पहाड़ी स्वास्थ्यवर्धक स्थानों को भी इन कोर्सों के लिए चुना जा सकता है।

5 विषय वस्तु :-
लघुकालिक व्यावसायिक कोर्सों की विषय-वस्तु सुनियोजित होनी चाहिए। इसमें निम्न विषय-वस्तु होनी चाहिए -

क 1 शिक्षा मनोरंजन 2 समाज-शास्त्र
3 बाल निर्देशन 4 मानसिक स्वास्थ्य

(ङ) परीक्षण तथा मापन में प्रशिक्षण प्रदान करना।
(च) अनुसन्धानों एवं प्रयोगों के परिणामों का ज्ञान प्रदान करना।
(छ) सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं का समझना।
प्रदर्शन, व्यावहारिक कार्य सामूहिक विचार-विमर्श तथा यात्राएँ।

Summer Institutes ग्रीष्म कालीन संस्थान

ग्रीष्म कालीन संस्थान :-

ग्रीष्म कालीन संस्थान में कैम्पों का आयोजन ग्रीष्म कालीन अवकाश के दिनों में किया जाता है। इन कैम्पों में सेवाकालीन अध्यापकों को आधुनिक परिवर्तनों, शिक्षण प्रविधियों से परिचित करवाया जाता है। इन कैम्पों का आयोजन सुनियोजित तरीके से सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा विशेषज्ञों के साथ सलाह-मशवरा लेकर किया जाता है। इस तरह के कैम्पों का आयोजन सेवारत अध्यापक व विद्यार्थी दोनों के लिए होता रहता है।

शीतकालीन संस्थानों में मुख्य रूप से चार लोगों की मुख्य भूमिका होती है

1. व्यवस्थापक / अनुदेशक
2. अध्यक्ष
3. वक्तागण
4. श्रोतागण

1. व्यवस्थापक या अनुदेशक :-
अनुदेशक या व्यवस्थापक शीतकालीन समूहों की व्यवस्था करता है। व्यवस्थापक ही यहां पर की जाने वाली गतिविधियों, स्त्रोतों, श्रोताओं से सम्पर्क करता है, अनुदेशक ही समर इंस्टीट्यूट की तिथि, समय और अवधि को निर्धारित करता है।

2. अध्यक्ष :-
अध्यक्ष पद पर ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, जो व्यावहारिक उपयोगिता का पूर्ण बोध रखता है, क्योंकि इसी व्यक्ति को समस्त संचालन का दायित्व निभाना पड़ता है।

3. वक्तागण :-
वक्तागण ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो निर्धारित शीर्षकों को प्रस्तुतिकरण में सक्षम होते हैं और हर वाद-विवाद के लिए तैयार रहते हैं।

मुख्य

4 श्रोतागण :-
इन सब का कार्य वक्तागण के द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनना और शीर्षक सम्बन्धी सुझाव व प्रश्न करना होता है।

ग्रीष्म कालीन कैम्पों की विशेषतायें—

कालीन
की
ता है,
अवधि

1 इन कैम्पों का आयोजन ग्रीष्म कालीन अवकाश में किया जाता है।
2 इन कैम्पों के समय अवधि कम से कम दो सप्ताह तक होती है
3 इन कैम्पों का आयोजन छात्रों व अध्यापकों दोनों के लिए किया जाता है।
4 इनका आयोजन सरकार या किसी भी निजी संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है।

किया
स्वतंत्र
दायित्व

5 इन कैम्पों में अध्यापकों को सभी विषयों से सम्बन्धित नये-2 अनुसंधानों के बारे में विशेषज्ञों के द्वारा बताया जाता है।

Internship इन्टर्नशिप :

शीर्षकों
के

इन्टर्नशिप :-
इन्टर्नशिप कार्यक्रम: 'इन्टर्नशिप' शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, कैद। परन्तु इस शब्द

को संज्ञा के अर्थ या रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो इसका अर्थ प्रशिक्षक या कुशलता के रूप में किया जाता है। इन्टर्नशिप का प्रयोग प्रायः व्यवसाय या नौकरी आरम्भ करने वाले उन सभी युवक-युवतियों के लिए किया जाता है, जिससे उन्हें उस क्षेत्र में कार्य करना है। इन्टर्नशिप के द्वारा नये व्यवसाय को शुरू करने वालों के लिए व्यवसाय की राह को सुगम बनाया जाता है ताकि वह अपने व्यावसायिक कामों को पूर्ण कुशलता से कर पाएँ। स्कूल, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली सैद्धान्तिक शिक्षा को व्यावसायिक रूप से लाने के लिए इन्टर्नशिप कार्यक्रम करवाया जाता है।

इसी जगह पर विद्यार्थी को व्यावहारिक ज्ञान के साथ विषय की बारीकियों को समझने का अवसर मिलता है। इसी कारण इन्टर्नशिप व्यवसाय के नए आगन्तुकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होते हैं। इन्टर्नशिप की अवधि प्रत्येक व्यवसाय के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। कम से कम एक सप्ताह और अधिक से अधिक एक साल की हो सकती है।

इन्टर्नशिप के अन्तर्गत तीन बातों का ध्यान रखा जाता है—
१. रवैया २. प्रवीणता ३. व्यवहार

इन्टर्नशिप के मुख्य तीन भाग होते हैं—
१. प्रस्तुतीकरण २. पूर्व इन्टर्नशिप ३. इन्टर्नशिप

प्रस्तुतीकरण :-
इस चरण में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाता है। छात्र अध्यापकों / अध्यापिकाओं को उन सभी प्रविधियों शिक्षण सहायक सामग्री और तकनीकी इत्यादि इन सभी से परिचित करवाने का अवसर दिया जाता है, जो उन्हें व्यावसायिक रूप से कुशल बनाने में सहायक हो।
प्रस्तुतीकरण वह अवस्था है जहाँ पर शिक्षा भावी अध्यापकों को पाठ-योजना का निर्माण शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण विधियाँ तकनीकी इत्यादि का निर्माण करवाता है।

पूर्व इन्टर्नशिप :-
इस अवस्था में पहले से सीखे गई बातों का

अभ्यास होता है। इस अध्याय के अन्तर्गत 5-8 पाठ योजना का निर्माण करना होता है तथा उन्हें 4-7 दिनों में प्रस्तुत किया जाता है।

3 इन्टर्नशिप :-

यह तीसरा अति महत्वपूर्ण चरण होता है इसमें 20-80 पाठों की प्रस्तुती होती है। यह समय 6 सप्ताह से 12 महीने तक का समय होता है और यह शिक्षण कार्य हर रोज चलता है।

Agencies of Teacher Education

अध्यापक शिक्षा के अभिकरण

Q. विश्व विद्यालय अनुदान के कार्य का वर्णन कीजिए। U.G.C

उत्तर- विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C) की भूमिका Role of University grant Commission.) (Inter University Centres) उच्च स्तरीय शिक्षा और नये-नये आविष्कारों अनुसंधानों के लिए सर्वोच्च संस्था है। ये राष्ट्रीय विश्व विद्यालयों की रूपरेखा (स्वरूप) तैयार करने, उसकी व्यवस्था संगठन और उच्च शिक्षा एवं अनुसंधानों, वैज्ञानिक विकास के लिए योजना बनाकर विधिवत् नियमित, सुचारू रूप से संचालन करती है।

सभी विश्व विद्यालय आर्थिक सहायता प्राप्त कर, U.G.C के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए, उच्च शिक्षा के विकास, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए नए-नए आविष्कारों/अनुसंधानों की व्यवस्था और सुविधाएं प्रदान कर प्रोत्साहित करते है।

U.G.C बहुत बड़ी सर्वोच्च संस्था है जो देश की समस्याओं, कठिनाइयों

बुराईयों, त्रुटियों, सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण, अंधविश्वास का अध्ययन करके उनका निवारण करती है। व्यक्तिगत सामाजिक एवं राष्ट्रीय, आर्थिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक रणनीतिक और स्वास्थ्य संबंधी विकास का प्रारूप तैयार कर उसे कार्यान्वित करती है।

U.G.C ने मुख्य 6 राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं स्थापित की है, जिनमें शिक्षण अन्वेषण, भौतिक रासायनिक, तकनीकी, विकासात्मक क्रियाओं को प्रोत्साहन एवं सफलता मिलेगी। इन केन्द्रों की स्थापना से पूर्ण साधनों की खोज करके समाज के हित में प्रयोग लाया जायेगा। ये सभी Autonomous Registered Societies हैं जिनकी व्यवस्था विशेषज्ञों के परामर्श द्वारा U.G.C. की आर्थिक सहायता से की गई है।

! The Nuclear Science Centre (N.S.C) का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी अनुसंधान के लिए विश्व स्तर के प्रयोगिक सुविधाओं से युक्त अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना है जिनमें सभी नई तकनीक नए-2 प्रयोग और अनुसंधान U.G.C के अंतर्गत हो, सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था एवं प्रबंधन भी U.G.C करें।

अब Accelerator system के अन्तर्गत 57 विश्वविद्यालय सभी IIT, और बहुत सी राष्ट्रीय संस्थाएं निरंतर कार्य कर रही हैं जिनसे उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं।

2. The inter University centre for Astronomy and Astropysics (IUCAA)

अंतरिक्ष विज्ञान केन्द्र (I.U.C.A.A.) 20 दिसम्बर 1988 में पुना में स्थापित किया गया। पुना में स्थापित कार्य होने के कारण अन्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्यशालाएं और अनुसंधान की व्यवस्था के लिए सुविधाएं देकर सहयोग लिया जाता है। IU.CAA के वराहमिहिरा ब्लॉक में 20000 पुस्तकें हैं और 100 उच्च कोटि के वैज्ञानिक निरन्तर आविष्कार कार्य में लीन हैं।

Science Popularisation :- पुना के इस केन्द्र में माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों और माध्यमिक विद्यालय के प्राध्यापकों को महीने में 2 शनिवारों और छुट्टियों में पारस्परिक संबंध और आंतरिक विज्ञान में आविष्कार के विद्यार्थियों से सम्पर्क, मेल-मिलाप बढ़ाकर टेलीस्कोप बनाने और नए अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

Inter University consortium for department of atomic energy facilities (IUCDAEF) पूर्ण रूप से U.G.C द्वारा स्थापित की गई स्वतंत्र संस्था है। जिसमें देश के सभी वैज्ञानिकों Atomic energy के विकास एवं अनुसंधान के लिए निःशुल्क विभिन्न प्रकार से सुविधाएं देकर नए अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान किये जाते हैं।

भारत सरकार ने 1989 में सभी विज्ञानों के आविष्कार के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और आर्थिक सहयोग देने की सहमति प्रदान की है

1 Dhruve Recator के लिए मुम्बई
2 Varriable Energy Cyclotron के लिए कलकत्ता
3 Synchrotron के लिए नए आविष्कारों के लिए नए केन्द्रों की स्थापना की है।
4 Centre for advance technology (C.A.T) के लिए इन्दौर में

Consortium for Education Communication (CEC) भारत में CEC संस्था का शिक्षा के विकास में विशेष महत्व है। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत 26 मई 1993 में स्थापना की गई यह संस्था NSC नई दिल्ली में कार्यरत है। U.G.C को अन्य मीडिया के गठबंधन से प्रदर्शन

रेडियो आदि के माध्यम से शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो रहा है।

Media Tap Library :- शिक्षा के विकास प्रसार एवं प्रचार के लिए सस्ता, तीव्र गति से आगे बढ़ने का माध्यम है। पुस्तकालयों के माध्यम से दूर-दराज, पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार किया जाता है। पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक कार्यक्रम को समृद्ध बनाने के लिए U.G.C. ने 157 विषयों पर 10000 शैक्षिक कार्यक्रम बनाए हैं।

C.E.C.D

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य : U.G.C

विश्वि. अनुदान आयोग के कार्य निम्न हैं।

1 विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने एवं शिक्षण स्तर को उच्च बनाने के लिए विश्वविद्यालयों को सलाह देना।

2. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं प्रचलित विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र की वृद्धि पर पूछे जाने पर अपना मत प्रकट करना।

3. विश्वविद्यालयों को अपने कोष से दी जाने वाली धन राशि का वितरण करना तथा इस सम्बन्ध में अपनी नीति का निर्धारण करना।

4. भारत सरकार एवं विश्वविद्यालयों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना तथा उनकी शंकाओं का समाधान करना।

5. विश्वविद्यालयों से उनकी परीक्षाओं पाठ्यक्रमों, अनुसंधान कार्यों आदि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना।

6. विश्वविद्यालयों के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली सूचनाओं को भारत तथा विदेशों से एकत्रित करके विश्वविद्यालयों को भेजना।

7. विद्यालय तथा विविध सेवाओं के लिए प्रदान की गई उपाधियों के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को अपनी सलाह देना।

विश्वविद्यालय अनुदान की भूमिका :-

1. आयोग अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते कोचिंग कक्षाओं के आयोजन में सहायता प्रदान करता है।

2. आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को कुछ विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अतिरिक्त विषय आरम्भ करने के लिए सशक्त सुविधाएं स्वीकृत की हैं।

Q. राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान :-

राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA) शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन का एक सर्वोच्च भारतीय संस्थान है। 1961-62 में इसका आरम्भ यूनेस्को के एक क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में हुआ जिसका उद्देश्य एशिया में शैक्षिक योजना बनाने वाले, प्रशासकों व पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करना था।

यह संस्थान अब एक ऐसी रजिस्टर्ड सोसायटी है जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। जो 17 अरविन्दो मार्ग नई दिल्ली में स्थित है।

इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1 शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाना :-

इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा में नियोजन व प्रशासन की गुणवत्ता को सुधारना इसके लिए यह नवीन विचारों एवं तकनीकों के विकास पर ध्यान देता है और विभिन्न तरीकों से उनका प्रचार करता है

2 सेवाकालीन प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का आयोजन :- राज्य तथा केन्द्र सरकार व केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ शैक्षिक अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्मेलन, कार्यशाला, मीटिंग तथा सेमिनार आदि का आयोजन करना।

3 ओरिएन्टेशन एवं रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करना।

4 सेमिनार व परिचर्चाएं आयोजित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

5 समान संस्थानों का तन्त्र तैयार करना इसका उद्देश्य उन संस्थानों का एक तन्त्र तैयार करना है जो इसकी तरह शैक्षिक नियोजन व प्रशासन के कार्य से जुड़ी है।

6 अनुसंधान :- यह विश्व के विभिन्न देशों तथा भारत के विभिन्न राज्यों में शैक्षिक नियोजन की विभिन्न तकनीकों व प्रशासन के तरीकों का तुलनात्मक अध्ययन करता है।

7 परामर्श :- परामर्श व व्यक्तियों का संस्थागत व व्यवसायिक परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है।

8 प्रकाशन, शैक्षिक नियोजन व प्रशासन से सम्बन्धित पेपर, पुस्तकें, व सर्वाधिक पत्रिकाएं प्रदान करना, छापना व प्रकाशित करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 1

9. अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग :- 1

विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग प्रबन्धन व प्रशासन संस्थान तथा विश्वविद्यालय सहित भारतीय व विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग करना भी इसका लक्ष्य है। 3 2

10. छात्रवृत्ति व फैलोशिप प्रदान करना :-

यह संस्थान शैक्षिक नियोजन व प्रशासन के क्षेत्र में छात्रवृत्तियां व फैलोशिप भी प्रदान करता है। यही नहीं, इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महान प्रतिभाओं को भी सम्मानित करता है। 3

NIEPA की संरचना :- इसकी तीन इकाइयां है

1 भौमिक यूनिट्स
2 लेवल यूनिट्स
3 स्पेशल यूनिट्स

1. कोर्स यूनिट्स :- इसके अन्तर्गत आने वाली इकाइयाँ निम्न है।

1 नियोजन 2 प्रशासन
3 नीति 4 वित्त
5 ऑपरेशन रिसर्च एवं सिस्टम्स मैनजमैन्ट

2. लेवल यूनिट्स :-
1 विद्यालय एवं निरौपचारिक शिक्षा 2 उच्च शिक्षा

3. स्पेशल यूनिट्स :-
1 सब-नेशनल सिस्टम्स यूनिट 2 अन्तर्राष्ट्रीय यूनिट

निष्कर्ष :-
अन्त मे कहा जाता है कि नीपा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासनिक संस्थान है। शोध प्रशिक्षण, तथा प्रचार आदि के माध्यम से यह शिक्षा जगत को महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रैक्टली की गुणवत्ता के कारण यह राष्ट्रीय ही नही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है।